निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या :210/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

रामजीलाल पुत्र श्री गंगाराम जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम खवारानीजी तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1.श्री चिमन लाल मीना आर.ए. एस. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

अप्रार्थी

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर टी एक्ट 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 112/2021 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 112/2021 ब उनवानी रामजीलाल बनाम सुन्दरी व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री रमेश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 02.01.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ के समक्ष प्रकरण संख्या 112/2021 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 112/2021 ब उनवानी रामजीलाल बनाम सुन्दरी व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ से बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। प्रकरण में सुन्दरी देवी शर्मा व अन्य की ओर से वकील श्री रमेश कुमार आजोरिया ने वकालतनामा व आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सी पी सी का प्रस्तुत किया। प्रार्थी सुन्दरी देवी व अन्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में पक्षकार है । इसलिए न्यायहित में इस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में भी आवश्यक पक्षकार बनाया जाता है।
3. बहस प्रथम पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मूल वाद पत्र में अप्रार्थी सुन्दरी देवी व अन्य पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ करने में लगे हुये है एवं आये दिन उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ के चैम्बर में आते जाते है तथा उन पर राजनैतिक दबाव बना कर प्रकरण को अपने पक्ष में निर्णित करवाने की आशंका है। दिनांक [illegible] को प्रार्थी ने निवेदन किया कि उक्त पत्रावली की सुनवाई कर रिकॉर्ड के आधार पर उक्त वाद पत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का फैसला कर दें, ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सके । पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी को

जिला कलक्टर
जयपुर

मौखिक रूप से कहा कि उक्त प्रकरण को मुझे जल्द से जल्द निस्तारित करना है और मै किसी प्रकार के नियमों को नहीं मानता हूँ। मै उक्त प्रकरण को सुन्दरी देवी व अन्य के पक्ष में निस्तारित करके रहूँगा। प्रार्थी को उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए यह पूर्ण अन्देशा हो चुका है कि उक्त प्रकरण पीठासीन अधिकारी एवं मूल वाद पत्र के प्रतिवादीगण सुन्दरी देवी व अन्य के मध्य सांठ गांठ हो चुकी है एवं प्रकरण सुन्दरी देवी व अन्य के पक्ष में निस्तारित किया जावेगा। उक्त कार्यवाही से अधीनस्थ न्यायालय की बदनियति स्पष्ट प्रतीत होती है। अप्रार्थी संख्या 1 की उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई आशा नहीं रही है। ऐसी स्थिति मे उक्त मामले को न्याय पूर्ण निस्तारण हेतु किसी अन्य सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानान्तरण किया जाना न्याहित में आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. आदेश 01 नियम 10 सीपीसी प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता श्रीमती सुन्दरी देवी के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अधीनस्थ न्यायालय में सुन्दरी देवी पक्षकार है और सुन्दरी देवी को ही मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में आरोपित किया गया है, किन्तु सुन्दरी देवी को जानबूझ कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की म ...न्शा से झूठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। आदेश 01 नियम 10 सी पी सी प्रार्थना प्रस्तुतकर्ता सुन्दरी देवी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में पक्षकार है और उसी पर पीठासीन अधिकारी से मिलीभगत करने का अरोप लगाया है, किन्तु सुन्दरी देवी को मुन्तकिल प्रार्थना पत्र मे आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थी ने जो आरोप लगाये है उनके संबंध में कोई ठोस प्रमाण पेश नही किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसमें कोई बल नहीं पाते है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नही पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय मे मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो ।

9. निर्णय आज दिनांक 02.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर
जयपुर